


बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
कार्यालय आदेश

सं०-11 न०वि० अभि० (को०) परि०- 01/2018 47 न०वि० एवं आ०वि० पटना, दिनांक 2/4/18

विभागीय कार्यालय आदेश सह पठित ज्ञापांक-1178 दिनांक-27.07.2016 के आलोक में ₹ 2.00 करोड़ (दो करोड़ रुपये) के निविदाओं (तकनीकी बिड/वित्तीय बिड) के परिवादों की समीक्षा हेतु मुख्य अभियंता के स्तर पर एक समिति का गठन निम्न प्रकार की जाती है:-


1. मुख्य अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग — अध्यक्ष
 2. श्री सुरेश कुमार तिवारी — सदस्य
अधीक्षण अभियंता, बुडा नगर विकास एवं आवास विभाग
(दक्षिण बिहार के परिवाद के लिए)
 3. श्री ओम प्रकाश सिंह — सदस्य
अधीक्षण अभियंता, बुडा नगर विकास एवं आवास विभाग
(उत्तर बिहार के परिवाद के लिए)
 4. संबंधित बुडा के कार्यपालक अभियंता — सदस्य
2. उक्त समिति नियमित रूप से बैठक आयोजित करेगी तथा प्राप्त परिवाद पत्रों के निस्तार का अनुश्रवण करेगी एवं सामान्य रूप से निविदा निस्तार की समीक्षा करेगी।
3. उक्त समिति की अनुशंसा पर प्रधान सचिव/सचिव का निर्णय प्राप्त किया जायेगा।
3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।


28/3/2018

प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक- 11 न०वि० अभि० (को०) परि०- 01/2018 376 न०वि० एवं आ०वि० पटना, दिनांक 2/4/18

प्रतिलिपि:- सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


28/3/2018

प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग